



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./ म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.658 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 2.985 हे. राजस्व वन भूमि 0.391 हे. कुल 5.034 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 5.034 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 23/02/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला) 23/2/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं

वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-900A/11/7

रायपुर, दिनांक 24/02/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Kawardha forest division under Kbirdham Distic of Chhattisgarh State, area- 5.034 ha.

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/139649/ 2021

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग का पत्र क्रमांक /तक अधि/647 दिनांक 27.01.2023

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-1 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./ म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक, मोहागांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.658 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 2.985 हे. राजस्व वन भूमि 0.391 हे. कुल 5.034 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/139649/ 2021 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि रुपये 6000 एवं एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 58,000 कुल रु. 64,000/- जमा कराया गया है।	2-11
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.658 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 2.985 हे. राजस्व वन भूमि 0.391 हे. कुल 5.034 हे. वन भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	12-15
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- कवर्धा वन मंडल अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	16
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	17

6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	18
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव— आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./ म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक्क, मोहागांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.658 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 2.985 हे. राजस्व वन भूमि 0.391 हे. कुल 5.034 हे. वन भूमि में किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट आफ वे में किया जाना है अतः वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।	19-27
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप—यूजर एजेंसी द्वारा कथन किया है कि कवर्धा, पण्डरिया, बोडला एवं सहसपुर लोहारा तहसील अंतर्गत लगभग 90 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे 80,000 आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देन में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। इस कार्य को संपादित करने के लिये 580 लाख रु. लागत आयेगी।	28
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र— प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	29
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/ जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	30
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा— भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी, कवर्धा द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 03.11.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, कवर्धा के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा दिनांक 12.12.2022 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	31-41 (डी)
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	42
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र— सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	43-98
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में— कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 158830.190 हे. है।	99
15.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में— कबीरधाम जिले के अंतर्गत 20 स्वीकृत प्रकरणों में 1247.932 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	100
16.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में— व.स.अ.—1980 तहत कबीरधाम के कवर्धा वन मंडल अंतर्गत इसी श्रेणी के 5 स्वीकृत प्रकरण में कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा	101

	3.056 हे. है।	
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदनुसार का वन मंडलाधिकारी, कवर्धा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	102
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कबीरधाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग आवेदक विभाग द्वारा किया गया है जिसकी पावती अभिस्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	103-108
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधाम के पत्र क्रमांक 4607 दिनांक 25.05.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	109-112
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार है।	113
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	114

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
 2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
 3. भाग-4
 4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


 अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व. सं. अ)
 छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कवर्धा वन मंडल, कवर्धा, छत्तीसगढ़
3. महाप्रबंधक (कार्पोरेट. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डी), रायपुर (छ.ग.)।


अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़